

pan>

Title: Girl Child (Prevention of Commercialised Trafficking, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2022

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिकाओं के व्यावसायिक दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए, जिसमें किसी बालिक को प्रलोभन देकर, खरीदकर, या अपहरण करके या उसे व्यावसायिक लाभ के लिए देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, इस तरह के दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सहित भयपरतिकारी दंड प्रदान करना और सरकार द्वारा ऐसी बालिका के लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

***m02 HON. CHAIRPERSON:** The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of commercialized trafficking of girl child wherein a girl child is forced into prostitution after luring, procuring or kidnapping her or dedicating her as devadasi for commercial gains by providing deterrent punishment including capital punishment for such trafficking and for rehabilitation of and other welfare measures for such girl child to be undertaken by government and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।
